संख्या– /VI/2018–23(01)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

खेलकूद अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 05 सितम्बर, 2018

विषयः भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता–2011 को उत्तराखण्ड राज्य में गठित खेल संघों द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0–479 दिनांक 24.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री, भारत सरकार के अ0शा0प0सं0 8–13/2012–खेल–III/251 दिनांक 04.05.2018 की छायाप्रति के साथ संलग्न भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता–2011 की प्रति संलग्न कर उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघो में स्पोर्टस कोड लागू किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 में भारतीय ओलम्पिक संघ के पदाधिकारियों की अर्हतायें एवं खेल परिसंघों के कार्यकरण में सुशासन और पारदर्शिता तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वभौमिक सिद्धांतों से सम्बन्धित अनुदेश निर्गत किये गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य में भी भारत सरकार के अनुरूप ही Adoption of good governance practices के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भी खेलों एवं खेल से सम्बन्धित विषयों को पारदर्शी एवं कुशल प्रबन्धनीय प्रणाली अपनाते हुये पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा निर्गत भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता–2011 को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य में गठित खेल संघों द्वारा भी अनुपालन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य में गठित खेल संघों हेतु स्पोर्टस कोड (राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित संहिता में उल्लिखित दिशा निर्देशों को तत्काल क्रियान्वित करने का कष्ट करें। उक्त संहिता को सुलभ संदर्भ हेतु विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

GM(T)
&
CMD
26/9/2018

Manager (R)

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

CT1

क्रमशः–2

संख्या– 633/VI/2018–23(1)/2018–टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
4. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त कुमांऊ मण्डल, नैनीताल एवं गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
11. समस्त राज्य खेल संघ–द्वारा निदेशक।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।